न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 350/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. तरसेम सिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया।
2. शमनजोत सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया।

— वादीगण

बनाम

1 जसपालकौर पुत्री मलकीत सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब हाल आबाद बुटेवाला फिरोजपुर (पंजाब)
2 अमृतपालकौर पुत्री मलकीतसिंह पत्नी हरविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब हाल आबाद चक शेरेवाला तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब
3 जशनप्रीतकौर पुत्री तरसेमसिह जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया।
4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण
2— श्री जिनेन्द्र कुमार बाथम — वकील प्रति सं. 1 ता 3
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 4

निर्णय दिनांक :— 29.7.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि हमारी कृपिभूमि वाके तहसील संगरिया के चक न. 7 एएपी खाता संख्या 62/2 में वादीगण एवं प्रतिवादी के पिता/दादा मलकीत सिह के नाम 0.295 है. व चक नम्बर 8 एएमपी खाता संख्या 20/13 में कुल 5.522 है. व चक नं. 1 एनकेआर खाता संख्या 65/19 में कु0.295 है. व चक नम्बर 8 एएमपी खाता संख्या 20/13 में कुल 5.522 है. व चक नं. 1 एनकेआर खाता संख्या 65/19 में कु 1.218 है. व चक 2 एनकेआर खाता संख्या 60/11 में कुल 1.264 है. चक 2 एनकेआर खाता संख्या 59/10 में कुल 2.447 है. नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्तमान में है नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित समस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की विरासतन एवं जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म जात हक व हिस्सा बनता है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता—माता व दादा दादी के मरणों—परान्त राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई उक्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 किसी प्रकार से हिस्सा नही लेना चाहती उन्होने अपने अपने हिस्सा की भूमि वादीगण को ... छोड दी है अब वादीगण दावा के पहरा संख्या 3 मे वर्णित कुल भूमि के खातेदार काश्तकार हो ... उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज कराने के मुश्तहक एवं ... हैं। हम वादीगण ... समस्त भूमि का घरू विभाजन एवं बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक ... संख्या 1 तरसेम सिंह को चक नं. 7 एएमपी खाता संख्या 62/2 में 0.295 है. व चक 8 एएमपी खाता संख्या 20... में कुल 4.522 है. इस प्रकार कुल 4.817 है. भूमि प्राप्त हो चुकी है उक्त खातो से प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा वादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

2 शमनजोत सिह को चक नं. 1 एनकेआर खाता संख्या 65/19 में कुल 1.218 है. व चक नं. 2 एनकेआर के खाता संख्या 60/11 में कुल 1.264 है. व खाता सख्या 59/10 में कुल 2.447 है. इस प्रकार कुल 4.929 है. भूमि प्राप्त हो चुकी है। उक्त खातों से वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का नाम कलमजन कर भूमि वादी संख्या 2 के नाम की जावे इसी अमर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण पाना चाहते है। वादीगण को घरू विभाजन में मिली भूमि वादीगण के कब्जाकाश्त में है लेकिन वादीगण के नाम समस्त भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वादीगण बैक लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ है तथा राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नही उठा पा रहे है इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे वादीगण को दावा की पहरा संख्या 3 में वर्णित कुल भूमि में जायज वारिसान एवं जन्मजात हक तथा मुताबिक घरू विभाजन एवं कब्जाकाश्त अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से कतई तौर पर इन्कार हो गये बस यही वादकारण है।

लिहाजा वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी संख्या 1 तरसेम सिह चक 7 ए.एम.पी खाता सख्या 62/2 में 0.295 है. व चक नं. 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 20/13 में कुल 4.522 है. इस प्रकार कुल 4.817 है. भूमि का खातेदार काश्तकार उक्त खातों से मृतक मलकीत सिह व प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर भूमि वादी संख्या के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे एवं वादी सख्या 2 शमनजोत सिह मुताबिक घरू विभाजन चक 1 एनकेआर खाता संख्या 65/19 में कुल 1.218 है. व चक 2 एनकेआर खाता संख्या 60/11 में कुल 1.264 है. व खाता संख्या 59/10 में कुल 2.447 है. इस प्रकार कुल 4.929 है. भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर भूमि वादी संख्या 2 शमनजोत सिह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नही करना चाहते है, इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

- चक 7 ए.एम.पी. खाता संख्या 62/2 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी।
- चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 20/13 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दी।
- चक 1 एन.के.आर. खाता संख्या 65/19 जमाबन्दी [illegible] 2076 की जमाबन्दी।
- चक 2 एन.के.आर. खाता संख्या 59/10 जमाबन्दी सम्वत [illegible] 2076 की जमाबन्दी।
- चक 2 एन.के.आर. खाता संख्या 60/11 [illegible] की जमाबन्दी।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस [illegible] वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 7 ए.एम.पी. खाता संख्या 62/2 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी, चक 8 ए.एम. पी. खाता संख्या 20/13 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दी, चक 1 एन.के.आर. खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:53:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संख्या 65/19 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी, चक 2 एन.के.आर. खाता संख्या 59/10 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी, चक 2 एन.के.आर. खाता संख्या 60/11 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुका है तथा वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 7 ए.एम.पी. खाता संख्या 62/2 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी, चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 20/13 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दी, चक 1 एन.के.आर. खाता संख्या 65/19 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी, चक 2 एन.के.आर. खाता संख्या 59/10 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी, चक 2 एन.के.आर. खाता संख्या 60/11 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एंव मृतक मलकीत सिह के नाम दर्ज है जो प्रस्तुत जमावन्दी से साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर अपने हक/हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में करने की सहमति दी। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुके है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी संख्या 1 तरसेम सिह को चक 7 ए.एम.पी खाता संख्या 62/2 में 0.295 है. व चक नं. 8 ए. एम.पी. खाता संख्या 20/13 में कुल 4.522 है. इस प्रकार कुल 4.817 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खातों से मृतक मलकीत सिह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी सख्या 2 शमनजोत सिह को चक 1 एनकेआर खाता संख्या 65/19 में कुल 1.218 है. व चक 2 एनकेआर खाता संख्या 60/11 में कुल 1.264 है. एव इसी चक के खाता संख्या 59/10 में कुल 2.447 है. इस प्रकार कुल 4.929 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खातों से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी सं[illegible]नजोत सिह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये दिये जाते है। आज पर्चा डिक्री अलग से [illegible] होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान [illegible] वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 350/2024

1. तरसेम सिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढ़ाब तहसील संगरिया।
2. शमनजोत सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढ़ाब तहसील संगरिया।

– वादीगण

बनाम

1. जसपालकौर पुत्री मलकीत सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढ़ाब हाल आबाद बुटेवाला फिरोजपुर (पंजाब)
2. अमृतपालकौर पुत्री मलकीतसिंह पत्नी हरविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढ़ाब हाल आबाद चक शेरेवाला तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब
3. जशनप्रीतकौर पुत्री तरसेमसिह जाति जटसिख साकिन लम्बीढ़ाब तहसील संगरिया।
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जागिन मुदई श्री जिनेन्द्र कुमार बाथम वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी संख्या 1 तरसेम सिह को चक 7 ए.एम.पी खाता संख्या 62/2 में 0.295 है. व चक नं. 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 20/13 में कुल 4.522 है. इस प्रकार कुल 4.817 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खातों से मृतक मलकीत सिह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी सख्या 2 शमनजोत सिह को चक 1 एनकेआर खाता संख्या 65/19 में कुल 1.218 है. व चक 2 एनकेआर खाता संख्या 60/11 में कुल 1.264 है. एव इसी चक के खाता संख्या 59/10 में कुल 2.447 है. इस प्रकार कुल 4.929 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खातों से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 शमनजोत सिह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....✗....नल....✗....मुब्लिक....✗....निल....✗....बा... ...निल....✗....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख ... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिन 9.7.2024 ....को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

Date: 2024.09.07 11:55:22 IST

Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 268/2019

वादपत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. ओमप्रकाश पुत्र जंगमालराम
2. साहबराम पुत्र जगमालराम
3. रामप्यारी पत्नी ओमप्रकाश
4. सावित्री देवी पत्नी साहबराम

} जाति समस्त जाट सकनाऐं नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र जगमालराम
2. कमलेश पुत्र जगमालराम
3. विमला पुत्री जगमालराम

} जाति समस्त जाट सकनाऐं नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

4. 4/1 अमृतपाल पुत्र लाभसिंह
   4/2 बिन्दूकौर पुत्री लाभसिंह
   4/3 किरणाकौर पुत्री लाभसिंह
   4/4 अक्कीकौर पुत्री लाभसिंह
5. गुरतेज सिंह पुत्र ईशरसिंह
6. जीयोकौर पुत्री ईशरसिंह
7. 7/1 जसकरणसिंह पुत्र जसमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह
   7/2 बलकरणसिंह पुत्र जसमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह
8. गुडी पुत्री नक्षत्रसिंह
9. माडो पुत्री नक्षत्रसिंह
10. 10/1 मनीकौर पुत्री स्व. चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह
    10/2 गुलताजकौर पुत्री स्व. चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह
11. रानी पुत्री नक्षत्रसिंह
12. 12/1 मनप्रीतकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
    12/2 मनजीतकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
    12/3 राजदीपकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
13. जसवीर कौर पत्नी अजायब सिंह (विलोपित)
14. जसकरणसिंह पुत्र अजायब सिंह
15. बलकरण सिंह पुत्र अजायब सिंह
16. निकासिंह पुत्र कहेर सिंह
17. 17/1 जगराजसिंह पुत्र स्व. हरनामसिंह पुत्र कहेरसिंह
    17/2 सुखदेवसिंह पुत्र स्व. हरनामसिंह पुत्र कहेरसिंह
18. 18/1 लखपतसिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/2 जसवीरसिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/3 गुडी पुत्री भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/4 गावीकौर पुत्री भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
19. 19/1 जगरूपसिंह पुत्र अजायबसिंह पुत्र कहेरसिंह
    19/2 किशनसिंह पुत्र अजायबसिंह पुत्र कहेरसिंह
20. जगजीत सिंह पुत्र भानसिंह
21. गुरतेज सिंह पुत्र भानसिंह
22. श्रीराम पुत्र पूरन
23. बन्ताराम पुत्र पूरन

} जाति समस्त जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

24. हेतराम पुत्र पूरन
25. बलराम पुत्र पूरन
26. कलावती पुत्री पूरन
27. मीज पुत्री पूरन
28. फुमन सिंह पुत्र साहबसिंह
29. 29/1 नायबसिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
29/2 नाजरसिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
29/3 कालासिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
30. 30/1 मेजरसिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
30/2 जालोरसिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
30/3 मंहगासिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
31. 31/1/1 जगसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/2 टहलसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/3 गुरदीपसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/4 गुरजन्टसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/5 सागरसिंह पुत्र सुखमन्दरसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
32. 32/1 जगरसिंह पुत्र गुरदयासिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
32/2 वकीलसिंह पुत्र गुरदयालसिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
32/3 भोलासिंह पुत्र गुरदयालसिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
33. अमरसिंह पुत्र बजीर सिंह
34. 34/1 जसकरणसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह
34/2 बलकरणसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह
34/3 जगदेवसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह

जाति समस्त जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

35. भारतीय स्टेट बैक (एडीबी) शाखा हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
36. स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
37. ओ.बी.सी. बैक शाखा नगराना जरिये शाखा प्रबन्धक
38. भारतीय स्टेट बैक शाखा लीलावाली जरिये शाखा प्रबन्धक
39. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1. श्री प्रदीप जाखड़ —वकील वादीगण
2. श्रीमती परमजीत कौर—वकील प्रति.सं. 1,2,3
3. श्री सुनील टाण्डी—वकील प्रति.सं.34/1,34/2
4. श्री रविन्द्र भोबिया—वकील प्रति.सं. 37

वादीगण ओमप्रकाश वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 39 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक 23.07.2019 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से तहसील संगरिया में कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड है, कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

चक नं.	खसरा संख्या	रकबा
16 एम.के.एस.	65/13	2.0[illegible] है.
16 एम.के.एस.	192/183	2.530 है.
6 एन.जी.आर.	141/143	3.795 है.
6 एन.जी.आर.	142/141	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

260

वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित चक नं. 6 एन.जी.आर. कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जो वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता जगमालराम से विरासतन में प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी मध्य घरू बंटवारानामा आज से करीब काफी अरसा पूर्व कर लिया था, वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी काश्त की सुविधा के अनुसार अपना खाता अलग करवाना चाहते है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है, जिस कारण परिवार के रिश्तेदार व भाईयों द्वारा पंचायत कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य बंटवारा करवा दिया था तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 का चक नं. 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 142/141 की कृषि भूमि में जो भी विरासतन हक व हिस्सा बनता था, उसका हक त्याग मौखिक रूप से वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 के अपने सगे भाईयों के पक्ष में ब.हिब. कर दिया है। वादीगण उक्त बंटवारानामा के रोज से ही अपने बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त बंटवारानामा में वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि कब्जा काश्त में प्राप्त हुई थी, जिस पर वे बंटवारा के रोज से ही वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वादी सं. 1 ओमप्रकाश वादी सं. 2 साहबराम को निम्नलिखित कृषि भूमि ब.हि.ब. हक वा हिस्सा में आई :– चक नं. 16 एम.के.एस.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/183	172/226	35	10,11,20,21,/0.912है., गै.मु. 0.100 है.
192/183	171/227	41	4/0.228, 7/0.253, 0.025 है.गै.मु.
65/13	171/227	41	13ता18/1.518,23ता24/0.759 है.
65/13	171/229	71	2/0.202, 3/0.203, 8/0.177, 9/0.177, 15/0.253 है.
65/13	171/228	64	3,4/0.456, 0.050 है. 7,8,13,14/1.012

चक नं. 6 एन.जी.आर.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
141/143	171/226	88	4,5,7,14,17,24/1.518 है.
141/143	170/226	89	4/0.253
142/141	170/225	86	8,9,12,13,18,1922,23/2.024 है.

वादी सं. 3 रामप्यारी वादी सं. 4 सावित्री हक वा हिस्सा की कृषि भूमि ब.हि.ब.

चक नं. 16 एम.के.एस.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/183	171/227	41	15,16/0.506 है.

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में सीव बट एवं रकम [illegible] को लेकर सदैव झगडा बना रहता है, इस कारण वादीगण [illegible] अपना खाता [illegible] रखना चाहते है, अतः घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक [illegible] खाता तकसीम [illegible] रकम राज अलग से कायम करवाने के एक मुस्त हक व दावेदार[illegible] प्रथम [illegible] मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है अगर वादीगण की खाते[illegible] चरण सं. 3 के मुताबिक अलग नही किया गया तो वादीगण को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकों धन के रूप में नही आंका जा सकता। वादी सं. 3 व 4 चक नं. 16 एम.के.एस. ने जरिये बैयनामा कृषि भूमि खरीद की थी जिसकी रूह से वादीगण खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि

सहा. कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested